International Journal of Research in Social Sciences
Volume 9, Issue 5 (May 2019)
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास में जीवन की गुणवत्ता

डॉ. जकील अहमद
असिस्टेंट प्रोफेसर (भूगोल विभाग) एस0बी0डिग्री कालेज, कन्नौज (उ0प्र0)

शोध सारांश :– हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरण संरक्षण को लेकर चिन्ता बढ़ती जा रही है। सिद्धान्तों में बहुत सी बातों को कहा जाता है, लेकिन उनको जोर देकर लागू नहीं किया जाता है यही कारण है कि पिछले वर्षों में केन्द्र सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय को प्राथमिकता सूची में सबसे बाद में रखा। पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत से कानून भी बने, लेकिन मंत्रालय के पास के लिए प्रयत्न करें। जैव ऊर्जा स्रोत तो एक विकल्प है लेकिन इस काम के लिए अनेक विकल्प ढूंढने की जरूरत है यह भी सोचने की बात है कि जब जल स्तर नीचा हो जायेगा तो खाद्यान्न (अनाज) उत्पादन में होने वाली कमी की भरपाई कैसे होगी ? इसके लिए ऐसे पौधों को खोजना होगा जिनको जलीय क्षेत्रों में और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी उगाया जा सके और उनसे खाद्यान्न (अनाज) उत्पादन में आई कमी को पूरा किया जा सके। वैश्विक स्तर पर उत्पादकों की इस मनोवृत्ति के फलस्वरूप पर्यावरण संरक्षण के कानून बनाने का श्री गणेश हुआ। यद्यपि कुछ कानून बहुत पुराने भी हैं जो पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करते हैं परन्तु अधिकांश कानून संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जून 1972 को स्टॉक होम में हुए ''मानवीय पर्यावरण के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन'' के बाद में बनाये गये हैं। इस सम्मेलन में मेग्नाकार्टा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है तथा इसी सम्मेलन की याद में प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने किया था।

शब्दकोषः–न्यायसंगत सामाविष्ट, अगाध, आस्था, प्रतिबिंबि, अफसोस, उभरी, द्ररिद्रता, द्वन्द।

पर्यावरण संरक्षणः– पर्यावरण संरक्षण हम मनुष्यों का अभ्यास है जो पर्यावरण को प्रजातियों के नुकसान से बचाते हैं है और परिस्थितिक तन्त्र का विनास, मुख्य रूप से प्रदूषण और मानव गतिविधियों के कारण होता है। संरक्षण जानवरों और पेड़ों दोनों को बचाने और उनकी मदद

International Journal of Research in Social Sciences
Volume 9, Issue 5 (May 2019)
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

करने में महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। मनुष्य एवं पर्यावरण का रिश्ता अटूट है लेकिन समय के साथ–साथ उसके अर्न्तसम्बन्धों में परिवर्तन भी होता है। मनुष्य, पर्यावरण का एक अंग होने के साथ–साथ उसका एक महत्वपूर्ण कारक भी है। भौतिक मनुष्य से आर्थिक एवं तकनीकी मनुष्य की यात्रा में तो एक तरफ वह प्रगति के नित नये सोपानों की तरफ अग्रसर है तो दूसरी तरफ वह अनेक प्रकार की आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं का जन्मदाता भी है। विश्व के विभिन्न भागों में स्वच्छ वायु की कमी, पेयजल का बढ़ता अभाव, तेजाबी वर्षा, रेडियो एक्टिव तत्वों एवं कीटनाशकों का फैलता जहर कैंसर एवं एड्स जैसी जानलेवा बीमारियों का बढ़ता प्रकोप, अनिवार्य कच्ची सामग्रियों का अभाव, ऊर्जा संकट, ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि ओजोन परत का क्षरण, मरूस्थली करण, निर्वनीकरण, बाढ़ एवं सूखे की बढ़ती बारम्बारता एवं निरन्तर बढ़ती गुणवत्ताविहीन जनसंख्या आदि समस्यायें सिर्फ मानव अस्तित्व के लिए ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण जीवन–जगत के समक्ष एक चुनौती बनकर खड़ी है जो हमें मानव और पर्यावरण के रिश्ते पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर देती है।

पर्यावरण संरक्षण परस्पर विरोधी नहीं बल्कि अन्योन्याश्रित है क्योंकि पर्यावरण को क्षति पहुंचने से खर्च बढ़ते हैं जो विकास के मार्ग में बाधा है। अतः बिना पर्यावरण संरक्षण के विकास नहीं हो सकता तथा बिना विकास के पर्यावरण संरक्षण नहीं है Without conservation you can't have Development and without development can't have conservation Toiba, 1983 यद्यपि पर्यावरण संकट के प्रति जागरूकता 1970 के दशक में उत्पन्न हो गयी थी जिसमें रोम क्लब द्वारा प्रकाशित, ष्जीम सपउपजे जव ळतवूजीष बेल द्वारा सम्पादित ष्न्तजी क्लष जैसी पुस्तकों का विश्वव्यापी प्रभाव हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 1972 ई. में स्टाकहोम (स्वीडन) में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में ''मानव पर्यावरण'' पर अन्तर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस का आयोजन हुआ जिसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में पर्यावरण संकट के विभिन्न पक्षों एवं कारणों पर विचार विमर्श हुआ और 26 सूत्रीय ''महाधिकार पत्र'' (मैग्नाकार्टा) घोषित किया गया, जो ऐतिहासिक दस्तावेज बना। इसके आधार पर संयुक्त

International Journal of Research in Social Sciences
Volume 9, Issue 5 (May 2019)
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

''राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम'' (न्छम्च्) की स्थापना हुई। इसका सचिवालय नैरोबी (केन्या) में रखा गया और इस संगठन को विश्व के विभिन्न भागों में पर्यावरण की दशा का लेखा–जोखा रखने का कार्य सौंपा गया। (न्छम्च्) ने इस कार्य हेतु कई अध्ययन समितियां गठित की हैं।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986

19 नवम्बर 1986 को लागू किया गया पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम एक ऐतिहासिक अधिनियम है। इसका उद्देश्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा दूसरे सम्बद्ध अधिनियमों की खामियों को दूर करना है। इसकी मुख्य विशेषतायें इस प्रकार हैं –

केन्द्र को प्रदत्त अधिकार –

1. पर्यावरण सम्बन्धी गुणवत्ता का संरक्षण करना।
2. पर्यावरण की निकासी की सीमा का निर्धारण।
3. पर्यावरण प्रयोगशालायें निर्धारित करना।
4. पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए मानक तैयार करना।
5. विश्लेषकों को नियुक्त करना तथा उन्हें सरकारी मान्यता प्रदान करना।
6. दुर्घटना रोकने के लिए बचाव उपायों का निर्धारण करना।
7. खतरनाक पदार्थों के रख–रखाव के लिए प्रक्रिया एवं सुरक्षात्मक उपायों का निर्धारण करना।

पर्यावरण संरक्षण कानून :– भारत में इस समय पर्यावरण संरक्षण के लिए लगभग 200 से अधिक कानून विद्यमान हैं जिन्हें केन्द्रीय व राज्य सरकारें लागू करती हैं। इनमें से प्रमुख कानून हैं –

1. वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972
2. वन (संरक्षण) अधिनियम 1980
3. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1977
4. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकरण अधिनियम 1981
5. मोटर वाहन अधिनियम 1938 संशोधन 1988

International Journal of Research in Social Sciences
Volume 9, Issue 5 (May 2019)
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

6. फैक्ट्री अधिनियम
7. कीटनाशक अधिनियम
8. खान एवं खनिज सम्पत्ति अधिनियम 1947
9. राष्ट्रीय वनस्पति अधिनियम 1988
10. भारतीय वन अधिनियम 1927
11. भूक्षरण अधिनियम 1955

सतत विकास :– सतत विकास से हमारा अभिप्राय ऐसे विकास से है जो हमारी भावी पीढ़ियों की अपनी जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करे। भारतीयों के लिए पर्यावरण संरक्षण, जो सतत विश्वास का अभिन्न अंग है। भारत में प्रकृति और वन्य जीवों का संरक्षण अगाध आस्था की बात है, जो हमारे दैनिक जीवन में प्रतिबिम्बित होता है। भारत सहित 193 देशों ने सिंहवर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय पूर्वरूपेण स्वीकार किया गया था और सेजनबरी 2016 को लागू किया गया। सतत विकास के लक्ष्यों का उद्देश्य सबके लिए समान, न्यायसंगत, सुरक्षित, शान्तिपूर्ण, समृद्ध और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना और विकास के तीनों पहलुओं, अर्थात सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से समाविष्ट करना है। इनमें ब्राण्डट द्वारा प्रस्तुत Programme for Survival & Common Crisis पाल्में द्वारा प्रस्तुत Common Security तथा ब्रुण्डटलैण्ड द्वारा प्रस्तुत Our Common future (1997) के प्रकाशन ने विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच द्वन्द्व को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिससे एक नई अवधारणा ''पारिस्थितिकी–विकास या संविकास'' (Eco Development½ या ''संधृत या सतत विकास'' Sustainable Develoment का उदय हुआ। इस अवधारणा के अनुसार विकास का लक्ष्य ''जनसामान्य के जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए, जो सामाजिक दृष्टि से न्यायपूर्ण, आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद एवं पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त हो'' (जगदीश सिंह, 1997)।

International Journal of Research in Social Sciences
Volume 9, Issue 5 (May 2019)
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

पर्यावरण की बढ़ती समस्याओं से निबटने तथा भविष्य के आर्थिक–सामाजिक विकास की दिशा एवं प्राथमिकतायें तय करने के लिए 3–14 जून 1992 को रियोडिजनेरो (ब्राजील) में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित ''पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन'' U.N. Conference on Environment-Development आयोजित किया गया था, इस ऐतिहासिक सम्मेलन में 178 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसलिए इसे 'पृथ्वी शिखर सम्मेलन' Earth's Summit भी कहते हैं। इस सम्मेलन की कार्यसूची में पाँच प्रमुख मुद्दे शामिल किये गये – भूमण्डलीय तापवृद्धि, वन संरक्षण, जैव विविधता, एजेन्डा–21 तथा रियो घोषणा पत्र। इनमें से भूमण्डलीय तापवृद्धि एजेन्डा–21 और रियो घोषणा पत्र पर तो सहमति हुई लेकिन शेष मुद्दे विवादों के घेरे में फँसकर रह गये जिनका सम्बन्ध समूची मानवता से है। रियो सम्मेलन के पश्चात, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए पाँच वर्ष पश्चात जून 1997 में डेनेवर में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया लेकिन इस सम्मेलन में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका। इसमें केवल इतना ही कहा गया कि ''हमें बेहद अफसोस है कि सामान्य स्थिति आज 1992 से बदतर ही है, बेहतर नहीं।

जीवन की गुणवत्ता :– अन्ततः सभी प्रकार के विकास का मुख्य उद्देश्य मानव एवं जीवन की गुणवत्ता होती है। ''जीवन की गुणवत्ता'' शब्द का प्रयोग राजनीतिज्ञों, नियोजकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पर्यावरणविदों द्वारा भिन्न–भिन्न उद्देश्यों के संदर्भ में किया जाता है। यहाँ तक कि समाज के विभिन्न वर्गों एवं व्यक्तियों के संदर्भ में भी इसका अभिप्राय भिन्न–भिन्न होता है। वस्तुतः जीवन की गुणवत्ता को परिभाषित करना एक कठिन कार्य है क्योंकि यह एक प्रक्रिया है, एक सम्बन्ध है, एक संतुष्टि एवं सम्पूर्णता का भाव है जिसे अनुभाव किया जा सकता है लेकिन सामाजिक जीवन की गुणवत्ता को भौतिक वस्तुओं एवं सामाजिक कल्याण के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है (कायस्थ 1997)। इसलिए कुछ दशक पूर्व तक प्रति व्यक्ति आय ही जीवन की गुणवत्ता का प्रमुख मापक था। आर्थिक विकास के साथ–साथ पर्यावरणीय समस्याओं में भी वृद्धि होने के साथ–साथ पर्यावरणीय समस्याओं में भी वृद्धि होने लगी। अतः विकास का जीवन की गुणवत्ता पर धनात्मक प्रभाव के साथ–साथ ऋणात्मक प्रभाव भी पड़ने

लगा। संयुक्त राष्ट्र संघ (1971) के अनुसार ''विकास अपने पीछे व्यापक दरिद्रता, यथा स्थितित्व, उपान्तता एवं सामाजिक–आर्थिक प्रगति से वास्तविक प्रवचिता छोड़ जाता है अथवा इनका जनक भी होता है। ये परिणाम इतने प्रकट एवं व्यापक हैं कि इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। ''इसलिए 1974 में आयोजित कोकोयोक (मैक्सिको) सम्मेलन में इस तथ्य पर विशेष बल दिया गया कि ''विकास का उद्देश्य वस्तुओं का नहीं, मनुष्य का विकास है। ''तत्पश्चात मानव केन्द्रित विकास की संकल्पना उभड़ी। वस्तुतः ''विकास लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों का होना चाहिए'' Development for the people, by the people and of the people.

''ओवरसीज डेवलपमेंट कौंसिल ऑफ वाशिंगटन डी. सी. द्वारा ''जीवन की गुणवत्ता'' मापक हेतु एक सूचकांक विकसित किया गया है जिसके प्रमुख संघटक हैं – 1. शिशु मृत्युदर 2. जीवन प्रत्याशा और 3. साक्षरता। ये सभी मिलकर किसी क्षेत्र के भौतिक जीवन की गुणवत्त को दर्शाते हैं। इनको प्रभावित करने वाले कारकों में भोजन, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं आदि हैं (सैयद शफी–1995)। मानव विकास रिपोर्ट 1996 के अनुसार भारत मानव विकास की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र के 174 सदस्य देशों में से 135वें स्थान पर है। यहां औसत वय 60.7 वर्ष, वयस्क साक्षरता 50.6 प्रतिशत, शिशु मृत्युदर 90 प्रति हजार, प्रति व्यक्ति पर राष्ट्रीय आय (क्रयशक्ति के आधार पर) 1240 अमरीकी डालर है। प्रथम स्थान पर स्थित कनाडा का औसत वय 77.5 वर्ष, वयस्क साक्षरता 99 प्रतिशत तथा वास्तविक प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय (क्रय शक्ति के आधार पर) 20950 अमरीकी डालर है। (हीरालाल – 2008)।

निष्कर्षः– आज का पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास कार्यक्रम कल के स्वास्थ्य के सुखी जीवन के लिए चलाया जाना अति आवश्यक है, जोकि पर्यावरण संरक्षण जन–जागृति के बिना अपूर्ण रहेगा। पर्यावरण, एक सतत विकास एवं जीवन की गुणवत्ता परस्पर एक दूसरे से सम्बन्धित है। किसी भी समुदाय के समुचित विकास के लिए स्वस्थ पर्यावरण अत्यन्त आवश्यक है, चाहे वह विकास व्यक्तिगत स्तर पर हो या सामुदायिक स्तर पर। क्योंकि पर्यावरण के ह्रास से जीवन की गुणवत्ता में भी ह्रास होता है। राबर्ट अरबिल (।तअपसए 1967)

के अनुसार पर्यावरण संरक्षण का मूल दर्शन – ''स्वस्थ पर्यावरण में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क'' अर्थात मानव के स्वस्थ मानसिक विकास के लिए स्वस्थ शरीर का होना अति आवश्यक है। अतः यह प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक एवं सामाजिक दायित्व है कि वह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के साथ–साथ चलते रहे जिससे मानव जीवन की गुणवत्ता में संवर्धन हो सके। सरकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठन चाहे कितना भी प्रयास क्यों न करे। यदि पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो वही स्थिति उत्पन्न हो जायेगी कि ''जिस डाल पर बैठे हैं, उसी डाल को काटने वाले कालिदाास की तरह।''

सन्दर्भ सूची :–

1. Arvill, R. (1967) Man and Environment Penguien.

2ण डॉ. सर्वेन्द्र सिंह – पर्यावरण भूगोल

3. डॉ. वी. के. श्रीवास्तव – पर्यावरण और पारिस्थितिक

4. U.N.D.P. (1996) Human Development Report

5ण Doon to Earth (1997) "The Gray Continent" August 31

6ण हीरालाल यादव (2005) उत्तर भा. भू. पत्रिका, वी. 138 Jan-Sept. 2008

7ण Brunttland Commission (1987) : World Commission Environment our common future-oxford University Press New Delhi.

7ण The Hindu (1997) 30 Nov.

8ण www.amarujala.com.